

434

नवीन प्रकरण - 2215/13
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2013 पुनरीक्षण R-2215-II/13

नोटा - यह प्रकरण मुरैना जिले
के प्रकरणों के जोड़े एवं उनकी
स्थिति बनने के दौरान प्राप्त हुआ
है। दिनांक 17-1-13 को जज
प्रमाण साफ्तक नएब द्वारा सुनवाई
आदेश हुए प्रकरण सादन विषयों
में एका पेक्टो डी. 20-5-13
निराह की गई है। एके
परिसरित के प्रकरण का
प्राप्त व्यक्त को सापटका
है जो नएब सुनवाई तदनुसार
प्रकरण प्राप्त व्यक्त के धुए-मा-ई
प्रकरण प्राप्त व्यक्त हेतु को प्रमाण
प्रमाणित है।

रमेश चन्द्रिका कर्मा
11-6-13
1/6/13
2013

21.11.13
9.9.2013

1. श्रीमती रंजनदेवी पत्नी स्व0 अनार सिंह
निवासी बुजुर्ग रोड डबरा
 2. मनोरमा पत्नी श्री मरदान सिंह
निवासी तानसेन रोड चौहान किरण सर्विस
राजेन्द्र प्रसाद कॉलोनी ग्वालियर
 3. सरदार सिंह
 4. नन्नेसिंह पुत्रगण अनारसिंह
 5. प्रेमा पुत्री अनारसिंह
निवासी बुजुर्ग रोड डबरा जिला ग्वालियर
- अवेदकगण
विरुद्ध
रामबेटी पुत्री तांतीसिंह उर्फ
अनारसिंह पत्नी मेहताव सिंह
निवासी ग्राम तरसमा
परगना अम्बाह जिला मुरैनाअनावेदक

ह ✓
मी ✓
र
ण
सिंह
यह
मांक

अपर कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 107/2010-11 पुनरीक्षण में पारित
आदेश दिनांक 21-12-2012 के विरुद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भूराजस्व संहिता
1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैं-

3

1. यह कि, अपर कलेक्टर महोदय का विवादित आदेश अवैध एवं प्रकरण के तथ्यों तथा अभिलेख
के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है.
2. यह कि, प्रकरण में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 411 एवं 648 जो आवेदक क्रमांक 1 के पति स्व0




राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2215-एक/13

जिला - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त चंबल संभाग मुरैना को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	